

सर्विस वायर में 2 कोर (10) / 3^{1/2}
कोर (30) केबल का ही उपयोग करें।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या.

निम्नदाव कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र

नवीन कनेक्शन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/टेरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता का नाम परिवर्तन
(कृपया जो लागू न हो, उसे काट दें)

प्रति,

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं। इसके लिये वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

1. आवेदक

- (अ) व्यक्ति का नाम/संगठन का नाम : -----
- (ब) पिता/पति/संचालक/भागीदार/ट्रस्टी का नाम : -----
- (स) श्रेणी : सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य
(जो लागू न हो उसे काट दें तथा जो लागू हो उसे टिक करें)
- (द) परिसर का पता जहाँ नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जा रहा है या विद्यमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।

परिसर क्रमांक

गली

क्षेत्र/कालोनी

नगर

जिला

पिन कोड

दूरभाष क्रमांक

ई-मेल

बैंक लेखा क्रमांक (ऐच्चिक) : -----

2. समीपस्थ विद्युत खम्भे का क्रमांक जहाँ से कनेक्शन लिया जाना संभावित है : -----

3. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लाट का क्षेत्रफल : ----- (वर्ग फुट)

4. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी (श्रेणियों की सूची संलग्न है) : -----

5. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य (उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) : -----

6. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थाई

(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)

यदि अस्थाई है तो अवधि लिखें :- दिनांक ----- से ----- तक

7. प्रस्तावित संयोजित भार

(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ----- वॉट.

(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)

(ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

स्थान का विवरण :

श्री _____ से दिनांक _____ में स्थित मण्डल के कार्यालय में क्र. _____ श्री विद्युत प्रदाय के
लिए प्राप्त आवेदन पत्र को _____ में स्थित मण्डल के कार्यालय में क्र. _____
पंजीयन कर लिया गया है। प्रभारी अधिकारी
दिनांक _____ छ.रा.वि.वि.कं.म. _____

उपकरण	विद्युत भार प्रति उपकरण (वॉट में)	संख्या	कुल विद्युत भार (वॉट में)

8. समीपस्थ वितरण मेन से प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दु की दूरी ----- मीटर।
 (उपभोक्ता द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना केवल मार्गदर्शन हेतु होगी। साध्यता जाँच के उपरांत अनुज्ञासिधारी द्वारा वितरण मेन का बिन्दु निर्धारित किया जावेगा एवं सर्विस केबिन या सर्विस लाईन का मार्ग निर्धारित किया जावेगा।)
9. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञासिधारी के कार्य क्षेत्र में किसी भी कनेक्शन पर कोई विद्युत बकाया राशि शेष है। हाँ/नहीं
10. जिस परिसर के लिये आवेदन किया गया है क्या वहाँ विद्युत बकाया राशि शेष है। हाँ/नहीं
11. क्या आवेदक ऐसे किसी प्रतिष्ठान का मालिक, भागीदार, संचालक अथवा प्रबंध संचालक है, जहाँ विद्युत बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं
12. मैं / हम यहाँ घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
 (अ) इस आवेदन में प्रस्तुत विवरण मेरे / हमारे ज्ञान के अनुसार सही हैं।
 (ब) मैंने / हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता को पढ़ा है तथा उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं।
 (स) मैं/हम प्रत्येक माह लागू विद्युत के देयक का भुगतान विद्युत टेरिफ और अन्य प्रभारों के अनुसार, नियत समय पर करूँगा / करेंगे।
 (द) मैं/ हम विद्युत की आंतरिक स्थापना एवं मीटर, कट-आऊट आदि की प्रतिभूति एवं सुरक्षा की जवाबदारी लेता हूँ/लेते हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम : -----

सील/पदनाम (यदि हो तो) -----

टीप : आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें -

- परिसर के विधिक आधिकार्य में होने का विधि-सम्मत दस्तावेज जिसके साथ परिसर/भूमि का नक्शा, जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, तथा इस पर विद्युत आपूर्ति के प्रस्तावित बिन्दु की जानकारी दी जावे। सड़क बत्ती के प्रकरण में सड़क बत्ती के खम्बों की विद्यमान/प्रस्तावित स्थिति नक्शे में दर्शानी होगी।
- यदि वैधानिक रूप से आवश्यक हो तो स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन / अनुमति पत्र संलग्न करें।
- भागीदारी प्रतिष्ठान के मामले में पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।
- मर्यादित कंपनी के मामले में प्रतिष्ठान का ज्ञापन एवं नियमांवली तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति। (मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोशिएशन एण्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
- उद्योग के प्रकरण में उद्योग विभाग से पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आवेदक के स्थाई निवास का पता संबंधी दस्तावेजी प्रमाण और पी.ए.एन. (स्थाई आयकर क्रमांक, यदि हो तो) संलग्न करें। यदि भविष्य में आवेदक के स्थाई पते में परिवर्तन हो तो अनुज्ञासिधारी को तुरंत सूचित करें।
- उद्योगों के प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण विभाग की अनमुति।